राजस्व वाद 121/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00205
मोटाराम बनाम् रूपाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :121/2020

वादीगण–

1. मोटाराम पुत्र हरचंदराम
   जातियान–जाट निवासी–जानवास,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रूपाराम पुत्र हरचंदराम
2. सुखाराम पुत्र हरचंदराम
3. हरीराम पुत्र हरचंदराम
4. धन्नी देवी पत्नि हरचंदराम
5. झणकारी पुत्री हरचंदराम
6. रामप्यारी पुत्री हरचंदराम
7. सयरी पुत्री हरचंदराम
   जातियान–जाट निवासीगण–जानवास, तहसील जायल (नागौर)
8. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवप्रकाश सिंवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जानवास तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1211/1 रकबा 1.9911 हैक्टेयर, खसरा नं. 1224 रकबा 2.0153 हैक्टेयर ,खेत खसरा नं. 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 1270/2 रकबा 1.7725 हैक्टेयर व मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1365 रकबा 1.0360 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1366 रकबा 1.5945 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2074 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ड़) के अनुसार आखातीज को कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली तथा कब्जा काश्त बंटवाड़ा स्कीम के अनुसार निम्न प्रकार से है। वादी मोटाराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1224 रकबा 2.0153

14/05/2022

हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 1/2 पश्चिमी भाग रखा गया है। प्रतिवादी रूपाराम के हक बंट में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1211/1 रकबा 1.9911 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 सुखाराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1365 रकबा 1.0360 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 1366 रकबा 1.5945 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 हरीराम के हक बंट में मौजा मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 1/2 पूर्वी भाग रखा गया है व खेत खसरा नंबर 1270/2 रकबा 1.7725 हैक्टयेर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 से 8 हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्वराजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने दिनांक 24.02.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा एवं ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवप्रकाश सिंवर ने की। ईकबाली जबाब/राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा/ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मोटाराम पुत्र हरचंदराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम जायल एवं जानवास तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 51,2452 प्रदर्श-1, प्रदर्श-2 किया। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा/ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबाली जबाब/राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब/राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने

की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा/ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.02.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब/राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.02.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 4 से 8 क्रमश धन्नी,झणकारी,रामप्यारी,शारदा,सयरी के हक बंट में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रखा है तथा ना ही अन्य भूमि रखे जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। हमारी राय में मौजा जायल एवं जानवास के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 1224,1211/1,1365,1366,1270/2,1261/2 तथा मुतदाविया शेष खसरा 1261/2 का माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 1261/2 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 23.03.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 23.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2110 दिनांक 08.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रूपाराम, मोटाराम, सुखाराम, गणेशाराम, हरीराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि भू.अभि.निरीक्षक जायल की उपस्थिति

एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 4 से 8 कमश का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा जायल एवं जानवास तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1211/1, 1365, 1366, 1270/2, 1261/2, 1224 के सहखातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल एवं जानवास तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1211/1, 1365, 1366, 1270/2, 1261/2, 1224 के सहखातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी मोटाराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1224 रकबा 2.0153 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 0.0405 हैक्टेयर पश्चिमी भाग गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है।
2. प्रतिवादी रूपाराम के हक बंट में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1211/1 रकबा 1.9911 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 सुखाराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1365 रकबा 1.0360 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 1366 रकबा 1.5945 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 हरीराम के हक बंट में मौजा मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टैयर पूर्वी भाग गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है व खेत खसरा नंबर 1270/2 रकबा 1.7725 हैक्टयेर सम्पूर्ण रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 121/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00205
मोटाराम बनाम् रूपाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 121/2020

वादीगण–
1. मोटाराम पुत्र हरचंदराम
जातियान–जाट निवासी–जानवास,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण–
1. रूपाराम पुत्र हरचंदराम
2. सुखाराम पुत्र हरचंदराम
3. हरीराम पुत्र हरचंदराम
4. धन्नी देवी पत्नि हरचंदराम
5. झणकारी पुत्री हरचंदराम
6. रामप्यारी पुत्री हरचंदराम
7. सयरी पुत्री हरचंदराम
जातियान–जाट निवासीगण–जानवास, तहसील जायल (नागौर)
8. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवप्रकाश सिंवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढ़ाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हाजरी श्री शिवप्रकाश सिंवर व प्रतिवादी संख्या 9 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल एवं जानवास तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1211/1, 1365, 1366, 1270/2, 1261/2, 1224 के सहखातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मोटाराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1224 रकबा 2.0153 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 0.0405 हैक्टेयर पश्चिमी भाग गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है।
2. प्रतिवादी रूपाराम के हक बंट में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1211/1 रकबा 1.9911 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।

14/05/2022

3. प्रतिवादी संख्या 2 सुखाराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1365 रकबा 1.0360 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 1366 रकबा 1.5945 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 हरीराम के हक बंट में मौजा मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1261/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टैयर पूर्वी भाग गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है व खेत खसरा नंबर 1270/2 रकबा 1.7725 हैक्टयेर सम्पूर्ण रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/05/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			दर0 तलबाना		
			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)